भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5683
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

5683. श्री हरीश मीनाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 209-ए के तहत कितनी कंपनियों के विरूद्ध जांच का आदेश दिया गया है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी कंपनियों के विरूद्ध उपर्युक्त धारा के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हुआ है; और
(ग) सरकार ने कंपनियों द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनियों की लेखा-बहियों की जांच के आदेश दिए जिनके विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	जांच की संख्या
1.	2014-15	23
2.	2015-16	161
3.	2016-17	117
4.	2017-18	शून्य

(ख): उक्त अवधि के दौरान न्यायालय द्वारा धारा 209क के तहत कोई भी कंपनी दोषी नहीं पाई गई थी।

(ग): कंपनी अधिनियम के किसी गैर-अनुपालन/उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाती है।

*****